न्यायालय : प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, शेखपुरा।

विवाह पुनर्स्थापना वाद सं0- 37/2026

शतीश बिन्द, पिता– द्वारिका बिन्द
साकिन– ग्राम– कुसुम्भा, थाना–कुसुम्भा, जिला– शेखपुरा।

..... आवेदक।

बनाम

रूपम देवी, पति– शतीश बिन्द
साकिन– ग्राम– कुसुम्भा, थाना–कुसुम्भा, जिला– शेखपुरा।

वर्तमान पता (नैहर) – पिता– चन्द्रिका बिन्द
साकिन– ग्राम– मानो इंग्लिश, पो0–मानो, थाना–सूर्यगढ़ा, जिला–लखीसराय।

.....विपक्षी।

आदेश

18–06–2026 उपरोक्त वाद, आवेदक शतीश बिन्द द्वारा विपक्षी (पत्नी) रूपम देवी के विरूद्ध धारा– 9 हिन्दु विवाह पुनर्स्थापना अधिनियम 1955 के अंतर्गत दायर किया गया है जो वाद ग्रहण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु नियुक्त है। संक्षेप मे, वाद के कथन इस प्रकार है कि आवेदक की शादी हिन्दु रीति–रिवाज के अनुसार अग्नि को साक्षी मानते हुए वर्ष 2009 में विपक्षी रूपम देवी के साथ सम्पन्न हुयी थी तथा दोनों के बीच दाम्पत्य जीवन खुशहाल एवं सुखमय चल रहा था दोनों के दाम्पत्य जीवन से तीन संतान की प्राप्ति हुई। विपक्षी बिना आवेदक या उसके परिवार को बताये मायके चली जाती थी और जब मर्जी आवेदक के घर आ जाती थी। विपक्षी जब अपनी बच्चों एवं पति को छोड़कर ससुराल के किसी सदस्य से बिना कहे सुने, बिना अनुमति के बगैर अपनी मां के पास जाने का बहाना बनाकर मायके गई एवं मायके से बिना कहे सुने लगभग तीन वर्षो से लापता होकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ दिल्ली रहने के लिए चली गई। जब कुछ दिन पहले दिल्ली से वापस अपने मायके आई है तो किसी से कोई बात नहीं कर रही है न ही अपने पुत्र से मिल रही है और आवेदक के घर रखा वादनी का अपना सारा जेवरात को भी साथ लेकर बिना आवेदक को बताये विपक्षी मायके चली गयी थी विपक्षी अपने मायके जाने के क्रम में दिये गये उपहार एवं जेवरात भी अपने साथ लेकर चली गई। आवेदक बार–बार अपने पत्नी को लाने हेतु अपने ससुराल गये लेकिन विपक्षी के द्वारा ध ामकी देते हुए स्पष्ट रूप से कहा गया कि आपके पास नहीं जायेंगे तथा उपहार एवं जेवरात भी नहीं लौटायेंगे। जिसको की बहुत सारे मुहल्ले वाले लोग सुने एवं बीच–बचाव किए तथा विपक्षी के द्वारा आवेदक को जान मारने की बात करने लगे। आवेदक कुछ दिन पहले ही अपने ससुराल गया और अपनी पत्नी विपक्षी को अपने साथ चलने के लिए कहा लेकिन

न्यायालय : प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, शेखपुरा।

विवाह पुनर्स्थापना वाद सं0- 37/2026

विपक्षी अपने परिवार के सदस्यगणों के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि ना तो हमारी बेटी आपके सथ आपके घर जाएगी और ना ही उपहार एवं जेवरात वापस करेगी। पूर्व में अलग-अलग तिथियों को भी पंचों के बीच विपक्षी ने आवेदक के साथ रहने से साफ इंकार किया, उक्त विपक्षी के द्वारा पंचों के समक्ष ही झूठा केस मुकदमा में फसांने की धमकी दी गई थी तथा मारपीट करने पर उतारू हो गये थे। पंचों एवं ग्रामीणों के हस्तक्षेप करने पर मार खाने से बच गये और आवेदक उदास होकर वापस अपने घर आ गये, जबकि आवेदक अपनी पत्नी को ससम्मान रखने हेतु तैयार है। आवेदक के द्वारा अपने पत्नी को ससम्मान रखने एवं लाने का प्रयास अथक रूप से किया गया है एवं ससम्मान रखने हेतु भी तैयार है। तत्पश्चात् आवेदक द्वारा अपने दांपत्य अधिकार पुर्नस्थापना के लिए विपक्षी के विरूद्ध उपरोक्त वाद दायर किया गया।

वाद पुकारा गया। याचिकाकर्त्ता अनुपस्थित। आज अभिलेख सुबह 09:00 बजे पूर्वाह्न में पुकार की गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुए। अंत में 12:30 बजे अपराह्न में पुनः पुकार की गई न तो याचिकाकर्त्ता उपस्थित हुए और न ही उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि यह वाद ग्रहण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु विगत कई तिथियों से लंबित चला आ रहा है, परन्तु याचिकाकर्त्ता स्वयं दिनांक-08.05.2026 से अनुपस्थित चला आ रहा है तथा न्यायालय द्वारा याचिकाकर्त्ता को उपस्थित हेतु दिनांक-05.06.2026 को अंतिम अवसर दिया गया है, उसके बावजूद भी याचिकाकर्त्ता उपस्थित नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि याचिकाकर्त्ता को इस वाद में कोई रूचि नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति में इस वाद को याचिकाकर्त्ता के अनुपस्थित रहने के कारण खारिज किया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय
शेखपुरा।
दिनांक-18-06-2026

Date of Judgment / Order	18-06-2026
Date of Reserving Judgment/ Order	18-06-2026
Uploading Date	24-06-2026
Uploaded by	Smita kumari (stenographer)

न्यायालय : प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, शेखपुरा।

विवाह पुनर्स्थापना वाद सं0- 37/2026